भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2174

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां

2174 श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में 9 अपर न्यायाधीशों और 2 स्थायी न्यायाधीशों की रिक्तियाँ हैं ;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधीशों के ये पद कब से रिक्त हैं ;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त 11 न्यायाधीशों के विरुद्ध किन्हीं नामों की सिफारिश की है जो सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित हैं ; और

(ड.) यदि हां, तो ऐसी सिफारिश कब की गई थी और विलंब के क्या कारण है, यदि कोई हों ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 37 (28 स्थायी, 9 अतिरिक्त) न्यायाधीशों की अनुमोदित न्यायाधीश पद संख्या में से तारीख 01.08.2022 तक 24 न्यायाधीश (स्थायी) कार्यरत हैं और 13 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं ।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अपनी तारीख 20 जुलाई, 2022 की सिफारिश द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों (जेओ) की नियुक्ति की सिफारिश की हैं । इन 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में शेष 6 रिक्तियों के संबंध में कोई सिफारिश उच्च न्यायालय कॉलेजियम (एचसीसी) से प्राप्त नहीं हुए है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन करना अपेक्षित है । जब कि हर संभव प्रयास शीघ्रतापूर्वक विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पद-त्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन से हो रही हैं और न्यायाधीशों की संख्या का बढ़ना भी कारण है । सरकार शीघ्रतापूर्वक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

****